IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण–कल से आज तक

डॉ श्वेता शर्मा,
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास
मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय
नंदग्राम, गाजियाबाद

सारांश

महिला सशक्तिकरण विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने हेतु अनवरत चल रही मुहीम है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्त्री जो स्वयं समस्त शक्ति का केंद्र है वह इस स्थिति में किस प्रकार पहुंच गयी कि उन्हें सशक्त करने की आवश्यकता पड़ी और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य आज भी पूर्ण नहीं हो पाया है। भारत की आदि संस्कृति में महिलाओं को प्रायरू पुरुषों के समकक्ष ही अधिकार और सम्मान प्राप्त था। महिलाएं सशक्त ही थी। वह शिक्षित थी, विवाह में उन्हें अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त थी, यद्यपि परिवार उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था परन्तु उनका कार्यक्षेत्र मात्र घर ही नहीं था। धीरे–धीरे इस स्थिति में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हुई कुछ बदलावों के आधार पर सामाजिक व्यवस्थाकारो ने स्त्री के जीवन पर अनेक अंकुश और प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए परिणाम स्वरुप उनके अधिकार सीमित हो गए और उनकी स्वतंत्रता का ह्रास हुआ जिससे समाज में स्त्री की महत्ता कम हुई। समय और युग परिवर्तन के साथ साथ यह स्थिति और भी जटिल हो गई। महिलाओं का कार्यक्षेत्र मात्र गृह तक सीमित रह गया और उनका महत्व पुरुष द्वारा उनके प्रति किए जा रहे व्यवहार पर निर्भर होने लगा। मात्र इतना ही नहीं स्त्री के जीवन को बहु विवाह, बाल विवाह, विधवा दुर्दशा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओ जकड़ लिया। एक स्त्री के रूप में स्त्री का महत्त्व अत्यंत गौण हो गया। एक लंबे समय तक यही स्थिति चलती रही। पुनर्जागरण आंदोलन के समय कुछ समाज सुधारकों द्वारा स्त्री को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया गया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कानून बना कर स्त्री के जीवन में चली आ रही अन्याय पूर्ण कुप्रथाओं का अंत किया। हालांकि यह परिवर्तन व्यवहारिक रुप से समाज में बहुत सफल नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान में स्त्री –पुरुष को समान मानते हुए स्त्री को वह समस्त अधिकार दिए गए जो पुरुषों को प्राप्त है। विविध प्रकार के कानून बना कर महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण देने के प्रावधान भी संविधान में किए गए परन्तु फिर भी महिलाओं के जीवन में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसे अनेक कुप्रथाये आज भी व्याप्त हैं जिन्होंने स्त्री के जीवन को अंधकारमय कर रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा किये गए प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। महिलाओं की स्थिति अवश्य सुधरी है और उन्होंने विविध क्षेत्रों में प्रगति भी की है परन्तु अभी यह महिलाओं के एक वर्ग तक सीमित है। जब तक एक– एक स्त्री अपने सारे भय और असुरक्षा से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ समाज में व्यवहरिक रूप से स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं कर लेती तब तक महिला सशक्तिकरण की यह मुहिम जारी रहेगी।

महिला सशक्तीकरण एक अनुत्तरित प्रश्न है। विगत अनेक वर्षों से यह हमारे देश में एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने हेतु स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सामाजिक कार्यक्रम, गोष्टी, योजनाओ आदि के माध्यम से प्रयत्न किए जाते रहे है। 1985 में नरोबी में महिला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की पहल की गई और भारत में 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। प्रश्न यह है कि महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जबकि स्त्री व पुरुष दोनों ही किसी भी समाज एवं राष्ट्र के समुचित विकास एवं सामंजस्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

हमारे महान देश में प्राचीनतम सिंधु सभ्यता जन्मी जिसे मातृसत्तात्मक माना जाता है[1] जिससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति ना केवल उच्च एवं सम्मानजनक थी वरन उन्हें अधिकार संपन्न और शक्ति का केंद्र भी माना गया। वैदिक सभ्यता यद्यपि पुरुष प्रधान थी तथापि महिलाओं की स्थिति समानता एवं सम्मान से परिपूर्ण थी। विद्या ग्रहण करने से लेकर, अविवाहित रहने, विवाह आयु, विवाह में वर का चुनाव, गृह संचालक आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में स्त्रियों की सहमति आवश्यक थी।[2] वैदिक काल में अपाला,घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, कांक्षावृत्ती जैसी विदुषी महिलाओं के उद्धरण प्राप्त हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी।[3] इसके साथ ही अपनी इच्छा से अविवाहित रहने वाली स्त्रियां 'ब्रह्मवादिनी' का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है अर्थात विवाह करना स्त्रियों के लिए अनिवार्य शर्त नहीं थी उनकी अपनी इच्छा का भी महत्व था। यह सभी तथ्य हमारी आदि संस्कृति में महिलाओं की विशिष्टता एवं विद्वता के प्रमाण है। ऋग्वेद में विष्पला[4] नामक स्त्री का भी उल्लेख हुआ है जो युद्ध करते हुए घायल हो गई थी अर्थात स्त्री उस समय स्वतंत्र व सुरक्षित थी और समाज की दृष्टि में वह शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भी थी। महिलाओं को कुछ आर्थिक अधिकार भी थे स्त्रीधन[5] के रूप उनको व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त थी। कहा जा सकता है कि वैदिक समाज में पुरुष प्रधान होने के बावजूद भी स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ होती उन्हें प्रत्येक स्तर पर यथोचित अधिकार प्राप्त थे। स्त्री एवं पुरुष के परिमाण पर वैदिक समाज का संतुलन लगभग समान था। यद्यपि परवैदिक काल में यदा–कदा संतुलन में असमानता प्रतीत होती है तथापि यह स्थिति असंतोषजनक नहीं थी।

धीरे–धीरे रूढ़िवादी कुछ पुरुषों ने सामाजिक व्यवस्था को नियमबद्ध रूप से संचालित करने के नाम पर स्त्रियों के जीवन में अनेक प्रतिबंध आरोपित कर दिए और समाज में स्त्रियों पर पुरुषों की श्रेष्ठता स्थापित कर दी गई। इसी क्रम में स्त्रियों के जीवन में अनेक कुरीतियों का प्रवेश हुआ यथा बाल विवाह,[6] पर्दा प्रथा,[7] सती प्रथा,[8] बहु विवाह,[9] विधवा दुर्दशा,[10] जैसी अनेक कुप्रथाये स्त्रियों के जीवन का दुर्भाग्य बन गई। धीरे धीरे स्त्री के रूप में उनका महत्व कम होने लगा। वह दोयम दर्जे की नागरिक बन गई। उनका कार्यक्षेत्र घर और उनकी महत्ता पुरुषों के प्रति समर्पण पर निर्भर हो गई। पति के साथ यज्ञ में बैठना,उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, समर्पण,पुत्र की माता होना,घर के सभी लोगों की सेवा करना एवं उनके प्रति दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करना ही श्रेष्ठ स्त्री होने के मानक निर्धारित करता था और उन्ही पर उसका महत्व आधारित था।[11] ऐसी स्त्री को समाज में उपयोगी समझा जाता था इसके विपरीत आचरण करने वाली महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन पर विभिन्न लांछन लगाए जाते थे और उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

स्त्री को कैसा होना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? उसके दायित्व क्या है?उसकी सीमाएं क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में पुरुष व्यवस्थाकारो द्वारा नारी के जीवन को नियमबद्ध करने हेतु बड़े–बड़े ग्रंथ रच दिए गए और उनके प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के कठोर

दंड विधानो का भी सृजन किया गया। नारी के अधिकारों के नाम पर उसे प्रसन्न रखने के लिए वस्त्र व आभूषण से सुसज्जित किया गया। पुरुषों के अधीन नारी के सुख के लिए नाना प्रकार की भौतिक सुख–सुविधाओं का विधान किया गया जिससे नारी को संतोष प्राप्त हो और वह नियमों के अनुसार और पितृसत्तात्मक सोच के अधीन चलती रहे। मनु ने भी कहा है "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता"।[12] नारी की शिक्षा, विवाह में उसकी सहमति, निर्णय लेने की स्वतंत्रता आदि धीरे–धीरे कम हो गए और कालांतर में लुप्त ही हो गए। उच्च वर्ग की स्त्रियां और निम्न वर्ग की स्त्रियां फिर भी कुछ अधिकार संपन्न थी परन्तु मध्यमवर्ग की स्त्रियों के जीवन पर सर्वाधिक प्रतिबंध आरोपित किए गए।

पुरुषों की कुटिलता का एक प्रमाण है यह भी है कि उन्होंने नारी को देवी का दर्जा दिया, उसे अत्याधिक महान बना दिया, इतना महान बना दिया कि वह कभी अपने अधिकारों के विषय में सोच ही ना पाए। पुत्री, बहन, पत्नी, माता आदि सभी रूपो में स्त्री के जीवन को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। मनुस्मृति में कहा गया है कि "नारी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है वह बाल अवस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धा अवस्था में पुत्र के अधीन है"।[13] दया की देवी,त्याग की प्रतिमूर्ति,बनाकर उसे अधिकारविहीन कर दिया गया। युग बदले, इतिहास में नवीन अध्याय का आरंभ हुआ। मध्य युग आया और महिलाओं की स्थिति सुधरने की बजाय और निम्न होती चली गई। मध्य युग में तर्क का स्थान स्थापित अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता ने ले लिया। प्रथाएं कुप्रथाओं में परिवर्तित हो गई। समाज में स्त्रियों के ऊपर आरोपित बंधन और जटिल होते चले गए। उनकी शिक्षा, विवाह में स्वतंत्रता, स्वतंत्र आचरण आदि के लिए समाज में कोई स्थान नहीं था। बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा आदि कुरीतियां अत्याधिक बढ़ गई और उन्होंने स्त्री के जीवन को और बदतर बना दिया।[14] कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाने लगा और उसे समाज में बोझ समझा जाने लगा। कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो तो महिलाओं पर सर्वत्र ही बंधन लगा दिए गए थे। मुस्लिम आक्रांताओं के भय से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए बाल विवाह,पर्दा प्रथा और जौहर जैसी कुप्रथायें और बलवती हो गई। उच्च वर्ग की महिलाएं और निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति मध्यम वर्ग की महिलाओं से बेहतर थी।

पुनर्जागरण काल में सामाजिक सुधारों का आर्विभाव हुआ और बहुत से समाज सुधारकों ने भारत की प्राचीन गौरवान्वित संस्कृति को पुनःस्मरण कराते हुए स्त्रियों के जीवन में चली आ रही इन कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया और उन्हें समाज में समानता, सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। नारी की विवाह की आयु में वृद्धि करने ,नारी को शिक्षित किए जाने पर बल दिया गया, विधवा विवाह का समर्थन किया गया, बहु विवाह के विरोध में आवाज उठाई गई। इन समाज सुधारको के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु कानून बनाये गए जिससे नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ[15] और सामाजिक चेतना जाग्रत हुई परन्तु स्त्रियों के खोए हुए अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और उन्हें और सशक्त बनाने हेतु नवीन अधिकार दिलाने का लक्ष्य तय करने का मार्ग अभी दीर्घ और कठिन था किन्तु संघर्ष जारी रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भारतीय संविधान में समस्त आसमाताओं को खत्म करते हुए स्त्री और पुरुष को भारतीय संघ में समान दर्जा दिया गया। स्त्रियों को भारत के नागरिक एवं समाज के महत्वपूर्ण अंग के रूप में वह समस्त अधिकार प्रदान किये गए जो कि पुरुषों को प्राप्त थे। इसके साथ ही उन्हें सुदृढ़ बनाने,सशक्त करने व संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए ताकि नारी उत्थान किया जा सके।[16] समाज में स्त्रियों की पतित होती हुई स्थिति के कारण उनके जीवन में अनेक कुप्रथाये थी ही। उन पर भी विभिन्न प्रकार के कानूनों द्वारा नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से स्वतंत्र भारत में प्रचलित कन्याभ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कठोर कानून निर्मित किए गए।[17]

आधुनिक काल में सबसे ज्यादा दहेज प्रथा[18] ने हमारे समाज में विकट समस्या उत्पन्न की है और महिलाओं की स्थिति को हीन बनाया है इसके परिणामस्वरुप पुत्री के पैदा होने के बाद विवाह में दिए जाने वाले दहेज के भय से लोग कन्या के जन्म से भयभीत होने लगे जिसके परिणाम स्वरुप कन्या भ्रूण हत्या[19] जैसे भयानक अपराध समाज में बहुतायत से बढ़ने लगे। इससे नारी की स्थिति तो और खराब हुई है साथ ही समाज में स्त्री– पुरुष अनुपात में भी अत्याधिक असंतुलन हो गया जिससे समाज एवं राष्ट्र दोनों के लिए अत्याधिक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार एवं अनेक सामाजिक संगठनों के विभिन्न प्रयासों एवं जागरूकता अभियानों द्वारा समाज में जागृति लाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति सशक्त एवं सम्मानजनक हो और सामाजिक संतुलन बना रहे। आज भी निरंतर विभिन्न स्कीमों द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम जा रही है। दहेज़ जैसी कुप्रथा के परिणाम स्वरुप महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा[20] के मामलों में भी समाज में वृद्धि हुई है। विवाह में अत्याधिक दहेज देने वाले लोगों से प्रभावित होकर अन्य लोगों में भी इसके प्रति लालच बढ़ता चला गया और दहेज की मांग के कारण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले तेजी से बढ़ते चले गए। इसके साथ ही समाज में दहेज हत्याएं भी बढ़ने लगी। यह स्थिति हमारे समाज के लिए अत्याधिक गंभीर और भयानक हो गई। हालांकि दहेज एक्ट के अंतर्गत न केवल दहेज लेने वालों बल्कि दहेज देने वालों के लिये भी कठोर कानूनों का विधान किया गया है जिससे इन मामलों में लगाम लगाने पर सफलता हासिल हुई है पर अब भी इस कुप्रथा का अंत हमारे समाज से नहीं हो पाया है। विवाह में भी कन्या के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कानून निर्मित किए गए हैं। तलाक की स्थिति में भी महिलाओं और बच्चों को संरक्षण एवं सम्मानजनक जीवन यापन की समस्या ना हो इसके लिए उपयुक्त कानून बनाये गए है। महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करने हेतु भी समय–समय पर पुराने नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए गए व नवीन कानून बनाए गए। जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होसके। उन्हें रोजगार के समान अवसर दिए गए और समाज में उनकी आर्थिक स्थिति पुरुषों के समकक्ष करने हेतु उन्हें सेवाओं में आरक्षण भी प्रदान किया गया।[21] तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को सुदृढ़ बनाने हेतु भरसक प्रयत्न किये गए है और यह मुहीम निरंतर जारी है।

प्रश्न यह उठता है कि नारी जो इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मजबूत आधार है। जिसका पूजन हम शक्ति के रूप में करते है। उसे ही सशक्त करने के लिए एक मुहिम लंबे समय से जारी है परंतु संपूर्ण रूप में आज भी महिला सशक्तिकरण का यह लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक,पारिवारिक सभी पटल पर नारी के लिए समानता का स्तर प्राप्त करने में पुणे सफलता प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं किए जा रहे या प्रयास करने के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह सोचना कि यकायक एक अर्से से चली आ रही कुप्रथाओ और बंधनों की जंजीरों को तोड़कर नारी समानता या महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकना संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य को एक निरंतर प्रक्रिया द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है और महिला सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है, अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और अभी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है परन्तु ज़ब तक समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त सम्मान, समान स्थान, असामाजिक तत्वों के भय से मुक्ति, खुलकर जीने की स्वतंत्रता, जिसकी वह हकदार है, नहीं मिलेगी तब तक महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और इस दिशा में प्रयत्न चलता।

सन्दर्भ

1 – श्रीवास्तव, के. सी, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृष्ठ –55
2 – रघुवंश 6.7, महाभारत 1.112,नारदस्मृति.12.42, आपस्तम्ब 2.5.11.20
3 – शर्मा, के.जी, जैन, हुकुमचंद, भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ –85
4 – श्रीवास्तव,के. सी,प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ –315
5 – मनुस्मृति 5.162
6 – मनुस्मृति –IX, 94, पाराशर –7.6–9
7 – डॉ, मिर्जावहीद, दिल्ली सल्तनत, पृष्ठ –609
8 – चन्द्र,सतीश, मध्यकालीन भारत, भाग –1, पेज –175
9 – ऋग्वेद 10.33.2
10 – बौधायन धर्मसूत्र 2.2.66–68, मनुस्मृति 5.157–160
11 – दहीभाते,ऐसी,इतिहास,पृष्ठ –130–131

12 – मनुस्मृति
13 – मनुस्मृति
14 – चन्द्रसतीश, मध्यकालीन भारत, भाग 2, पृष्ठ–175
15 – गौतम, पी. एल, आधुनिक भारत, पृष्ठ –6 और 11
16 – मुख़र्जी, रविन्द्रनाथ व अग्रवाल, भारत में लैंगिक समानता,पृष्ठ–134
17 – सिंह,जेपी,आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ–291–293
18 – आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ–293
19 – आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ–294
20 – गौतम, भारततेन्दु, शर्मा, आधुनिक वश्विक चिंतन की दिशा व दशा, पृष्ठ –206
21 – वही